

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.7(7)(2)पंचा/रानिआ/2021/ 3954

दिनांक: 18.08.2021

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय:- पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव 2021-आदर्श आचार संहिता - संस्कृत शिक्षा विभाग के महाविद्यालयों/विद्यालयों के कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।

संदर्भ:- शिक्षा ग्रुप-6 विभाग एवं निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान की आज्ञा/आदेश क्रमांक:-

1. प.1(18)शिक्षा-6/2021 दिनांक 14.08.2021
2. निसंशि/संस्था-2,3,4,5 एवं 6/स्थाना./2021/25383-25473 दिनांक 13.08.2021
3. निसंशि/संस्था-2,3,4,5 एवं 6/स्थाना./2021/25322-25382 दिनांक 13.08.2021
4. निसंशि/संस्था-2,3,4,5 एवं 6/स्थाना./2021/25021-25321 दिनांक 13.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आज्ञा एवं आदेशों द्वारा क्रमशः 07, 26, 18 एवं 114 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। राज्य के 6 जिलों (जयपुर जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं सिरोही) में आचार संहिता प्रभावी है। आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए भी इन जिलों में स्थानान्तरण किये गये हैं जबकि इस संबंध में आयोग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। इन स्थानान्तरणों में निम्न प्रकार के स्थानान्तरण ऐसे हैं जिनसे आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन प्रकट होता है-

1. इन 6 जिलों से अन्य जिलों में किये गये स्थानान्तरण।
2. अन्य जिलों से इन 6 जिलों में किये गये स्थानान्तरण।
3. इन 6 जिलों में किये गये परस्पर स्थानान्तरण तथा
4. इन 6 जिलों में से किसी एक ही जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान/पद पर किया गया स्थानान्तरण।

उक्त चार **Category** में आने वाले सभी स्थानान्तरण आचार संहिता के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाते हैं। साथ ही विभाग से अपेक्षा की जाती है कि इन 06 जिलों में आचार संहिता के प्रभावी रहते (निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक) आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे कोई स्थानान्तरण नहीं किये जावें।

आज्ञा से,

चित्रा
18/8/2021

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव